तथ्य-सूची: भारत

नवम्बर 2013

communications@theicct.org WWW.THEICCT.ORG

वाहन ईंधन नीति

दि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांस्पोर्टेशन (आई.सी.सी.टी.) ने हाल ही में एक रिपोर्ट का विमोचन किया है, जिसमें भारत के वाहनीय उत्सर्जन नियंत्रण कार्यक्रम की सफलताओं और विफलताओं का सार्थक विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट के कुछ खास अंश इस प्रकार हैं।

वाहनीय उत्सर्जन

- जब पिछली वाहन ईंधन नीति 2003 में लागू हुई थी, भारत में वाहनों की संख्या 5 करोड़ थी। 2013 में यह बढ़कर करीब 13 करोड़ हो गई है।
- वाहनीय पार्टिक्यूलेट मैटर (PM) के उत्सर्जन आज 2003 की तुलना में से 14% कम हुए हैं। लेकिन अगर नयी नियंत्रण नीतियां लागू नहीं की जातीं हैं, तो PM के उत्सर्जन 2017 तक 2003 के स्तर पर वापस आ जाएंगे।
- वाहनीय NO_x उत्सर्जन 2003 से अब तक 10% बढ़ गये हैं, और आगे चलकर यह बढ़ोतरी और तेज़ हो जायेगी अगर इसे रोकने के लिये कुछ किया नहीं गया।
- कुल वाहनीय उत्सर्जनों में से 56% PM और 70% NO_x केवल भारी वाहनों (ट्रक एवं बस) में से निकलते हैं।
- वाहनीय PM उत्सर्जनों के कारण भारतीय शहरों में सालाना तकरीबन 40,000 समयपूर्व मृत्यु होती हैं।

वाहनीय उत्सर्जन के नियंत्रण

- 2003 की वाहन ईंधन नीति का 2010 तक घटनाक्रम सही तरह से लागू किया गया।
- इस समय भारत प्रक्रम (BS) IV ईंधन (50 ppm सल्फर) करीब 30 शहरों को दिया जाता है. BS III ईंधन (150 ppm सल्फर पेट्रोल, 350 ppm सल्फर डीज़ल) बाकी देश को दिया जाता है।
- नये हल्के वाहन (कार) ज्यादातर BS IV मानक के अनुरूप हैं। ज्यादातर भारी वाहन और हल्के व्यावसायिक वाहन BS III के अनुरूप हैं। दुपहिये और तिपहिये वाहन सब BS III के अनुरूप हैं।

2013 वाहन ईंधन निति के लिये कुछ सुझाव

- ईंधन की गुणवत्ता और वाहनीय उत्सर्जन नियंत्रण को सुधारने के लिये ऐसा घटनाक्रम तैयार करें जिससे BS VI मानक जल्द से जल्द लागू किये जाएं। एक संभव्य घटनाक्रम नीचे है:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ईंधन में सल्फर (ppm)	50		10								
हल्के वाहनों का उत्सर्जन मानक	BS Va		BS Vb		BS VI				Euro 7/US Tier 3 के समान		
भारी वाहनों का उत्सर्जन मानक	BS V				BS VI				Euro VII/US2010 के समान		
दुपहिये/तिपहिये वाहनों का उत्सर्जन मानक	BS IV				BS V				BS VI		

सभी मानकों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत (1 अप्रैल) से लागू होना चाहिये

- डीज़ल की दर में हर महीने को हो रही रु. 0.50 प्रति लीटर की मूल्यवृद्धि को योजनाबद्ध समय से एक महीने ज्यादा के लिये लागू किया जाये ताकि तेल की कंपनियों को BS V ईंधन (10 ppm सल्फर) उत्पादित करने के लिये पैसे एकत्रित करने का अवसर मिले।
- जब BS VI मानक देश में लागू हों, उस समय पुराने भारी वाहनों को निरस्त करने का कार्यक्रम तैयार किया जाये ताकि ग्राहकों पर नये, ज्यादा महांगे भारी वाहनों को खरीदने का बोझ कम हो जाए।
- वाहन उत्सर्जन नियंत्रण के उपकरणों के टिकाऊपन (durability) की आवश्यकताएं बढ़ाए जायें ताकि वो हकीकत में वाहनों के उपयोग के बराबर हो जायें।
- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये और ईंधन में अपमिश्रण को रोकने के लिये 2015 तक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया जाये जिसमें ईंधन की गुणवत्ता का परीक्षण रीटेल पेट्रोल स्टेशनों पर किया जाये।
- 2015 तक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया जाये जिसमें उपयोगरत (in-use) वाहनों का उत्सर्जन परीक्षण उन वाहनों के मूल मानकों के अनुसार किया जाये।
- अनुपालनहीन वाहनों का उपयोग रोकने और उनकी अनिवार्य मरम्मत के लिये सख्त और स्पष्ट नियम हों।
- सभी वाहनों का वार्षिक पंजीकरण अनिवार्य हो और वह PUC जांच और बीमा के सबूत से जुड़ा हो। ऐसे करने से देश के सभी वाहनों के आंकड़े एकत्रित किये जा सकेंगे और सभी वाहनीय विनियमों को सुसंगत करने का मौका मिलेगा।
- सभी शरही पेट्रोल स्टेशनों पर वाष्पीय उत्सर्जनों को रोकने के लिये 2017 तक स्टेज 1 और स्टेज 2 नियंत्रण लागू किये जाएं।
- 2015 से सभी नये चार पहियों के वाहनों पर ऑनबोर्ड रीफ्यूलिंग वेपर रीकवरी (ORVR) प्रणाली लगायी जाएं।

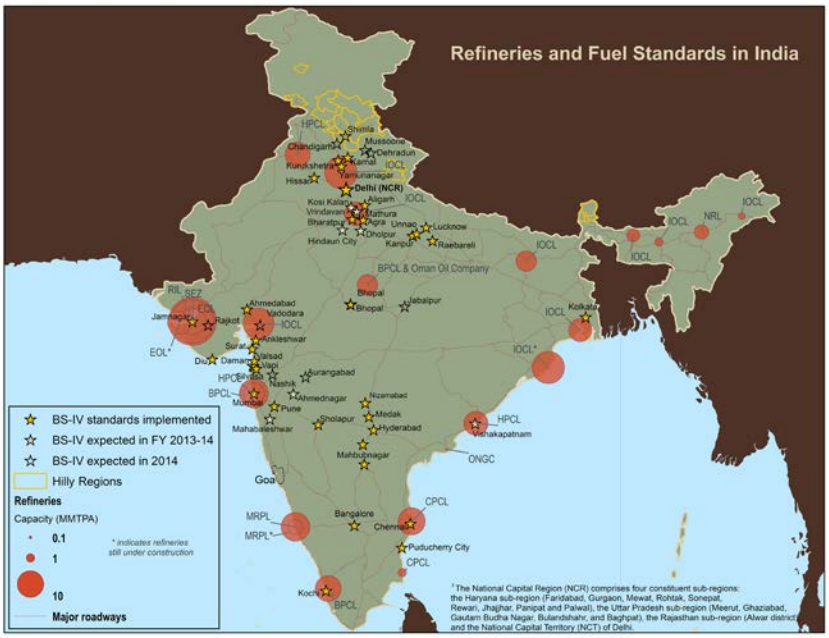

भारत में इस्तेमाल किया जा रहे ईंधनों का केवल एक-तिहाई हिस्सा BS IV के अनुरूप है। बाकी ईंधन में सल्फर की माला तीन से सात गुना ज्यादा है, जिसके कारण प्रगत वाहनीय उत्सर्जन नियंत्रण तकनीकों, जैसेकि डीज़ल पार्टिक्यूलेट फिल्टर (DPF), का उपयोग नहीं हो सकता। जब तक सभी नये वाहन BS VI मानकों के अनुरूप न होंगे, तब तक डीज़ल वाहनों से PM के उत्सर्जन पूरी तरह से कम नहीं किये जा सकेंगे।

डाउनलोड www.theicct.org/India

आई.सी.सी.टी. से संपर्क करें
अनूप बांदिवडेकर (anup@theicct.org) और
गौरव बंसल (gaurav@theicct.org)

icct
THE INTERNATIONAL COUNCIL ON CLEAN TRANSPORTATION

NOVEMBER 2013 © INTERNATIONAL COUNCIL ON CLEAN TRANSPORTATION